सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ।

वित्त समिति की प्रथम बैठक दिनांक 11 मार्च, 2013 का कार्यवृत्त

वित्त समिति की प्रथम बैठक दिनांक 11 मार्च, 2013 को पूर्वान्ह् 11.00 बजे कुलपति कार्यालय, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई।

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी :–

1.	डा0 हरि शंकर गौड़, कुलपति,	अध्यक्ष
2.	श्री पारस नाथ सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल	सदस्य
3.	श्री प्रशांत कुमार, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ	सदस्य
4.	प्रो0 जसवन्त सिंह नेगी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ मण्डल, मेरठ	सदस्य
5.	श्रीमती भारती शर्मा, सामाजिक महिला कार्यकत्री	सदस्य
6.	डा0 राजेन्द्र कुमार, महानिदेशक, उपकार, लखनऊ	सदस्य
7.	श्री सत्येन्द्र कुमार, वित्त नियन्त्रक	सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति एवं आवश्यताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए कार्यवाही प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी। वित्त समिति की प्रथम बैठक दिनांक 30.07.2012 का कार्यवृत्त जारी न हो पाने के कारण उस बैठक का संज्ञान न लेते हुए वर्तमान बैठक को ही प्रथम बैठक मानते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या 1.1: वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की संस्तुति।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक पर व्यापक विचार–विमर्श किया गया। वित्त समिति के समस्त सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के आय–व्ययक वर्ष 2013–14 को मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयी।

(क) वित्त समिति द्वारा अपेक्षा की गयी कि विश्वविद्यालय के समस्त भौतिक असेट्स की पंजिका बनायी जाये तथा वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाये। विश्वविद्यालय में रिक्त चल रहे शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर पदों को भरने के लिये शासन का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शीघ्र नियुक्तियाँ की जायें।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक, कुलसचिव)

13/3/13 13/3/13

(ख) चालू निर्माण परियोजनाओं एवं नई निर्माण परियोजनाओं की संस्तुति करते हुए निर्देशित किया गया कि निर्माण परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सहित गुणवत्ता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ प्रति माह अनिवार्य रूप से समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

(ग) निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर पर गुणवत्ता की जाँच नियमित रूप से करायी जाये तथा समय–समय पर गुणवत्ता के सम्बन्ध में वित्त समिति को भी अवगत कराया जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

(घ) चालू निर्माण परियोजनाओं में संशोधित आगणन के सम्बन्ध में वित्त समिति को अगली बैठक में अवगत कराया जाये। इसके अतिरिक्त कास्ट/टाईम ओवर रन से बचने के लिए एम0ओ0यू0 में स्पष्ट रूप से वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के प्रोजेक्शन सहित परियोजना पूर्ण कराने की अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाये। निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के तत्काल बाद निर्मित भवनों आदि को विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित कराया जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 1.2 : वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की संस्तुति।

वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक को मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयी। वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक पर महानिदेशक, उपकार, लखनऊ द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी कि वित्त समिति तथा मा0 प्रबन्ध परिषद की अग्रिम संस्तुति/अनुमोदन क्यों नहीं लिया गया ? इस विषय पर चर्चा की गई तथा विचार बना कि भविष्य में वित्त समिति तथा मा0 प्रबन्ध परिषद की बैठक समयानुसार बुलाकर सभी संबंधित प्रस्ताव उचित समय पर अनुमोदित कराये जायें। वर्ष 2012–13 का आडिट प्राथमिकता के आधार पर कराते हुए आडिट रिपोर्ट वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

(कार्रवाईः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 1.3 दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से ई–पेमेन्ट व्यवस्था लागू किया जाना।

वित्त समिति द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से विश्वविद्यालय में ई–पेमेन्ट व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्रवाईः वित्त नियन्त्रक)

13/3/13 13/3/13

प्रस्ताव संख्या 1.4 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन।

वित्त समिति द्वारा किये जाने वाले वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन का अवलोकन करते हुए निर्देश दिये गये कि इसे लागू करने से पूर्व प्रदेश के अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में लागू वित्तीय प्रतिनिधायन सम्बन्धी व्यवस्था का भी संज्ञान ले लिया जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 1.5 विश्वविद्यालय की बैलेंस शीट के सम्बन्ध में।

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय की बैलेन्स सीट समय से तैयार न किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय की वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक की बैलेन्स सीट शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर तैयार करते हुए उक्त वर्षों की बैलेन्सशीट पर मा0 प्रबन्ध परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 1.6 असमायोजित अग्रिम

वित्त समिति के सदस्यों द्वारा असमायोजित अग्रिमों के तत्काल समायोजन के निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये कि अग्रिमों की स्वीकृति अपरिहार्य परिस्थितियों में की जाये तथा जिस कार्य/प्रयोजन हेतु अग्रिम स्वीकृत किया गया है उसके पूर्ण होने के 01 माह के अन्दर अग्रिमों का समायोजन सुनिश्चित किया जाये। यदि एक वर्ष से अधिक समय तक धनराशि का समायोजन नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित के वेतन से कटौती कर ली जाये। विगत वर्षों से लम्बित असमायोजित अग्रिमों को समायोजित करने के लिये विशेष अभियान चलाया जाये तथा 03 माह के अन्दर समायोजित न कराने वाले कार्मिकों के वेतन से नियमानुसार कटौती कर ली जाये। असमायोजित अग्रिमों की पूरी सूची 01 माह के अन्दर तैयार कर वित्त समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 1.7 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद की आडिट रिपोर्ट वर्ष 2010–11 में लम्बित आडिट प्रस्तर

आडिट प्रस्तर इतनी बड़ी संख्या में लम्बित रहने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए वित्त समिति द्वारा विशेष अभियान चलाकर लम्बित आडिट आपत्तियाँ निस्तारित करने पर बल दिया गया। आडिट आपत्तियों के निस्तारण के लिये नोडल अधिकारी नामित करते हुए सीधे उत्तरदायित्व सौंपा जाए। विगत वर्षों में निस्तारित करायी गयी आपत्तियों का वर्षवार विवरण तैयार कर वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

13/3/13 17/3/13

(कार्रवाईः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 1.8 मुर्रा भैंस चक्रीय निधि खाता का रख–रखाव पशुधन अनुसंधान केन्द्र द्वारा संचालित करने की स्वीकृति।

मुर्रा भैंस चक्रीय निधि खाता का रख–रखाव पशुधन अनुसंधान केन्द्र द्वारा संचालित करने के प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्रवाईः अधिष्ठाता पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय)

प्रस्ताव संख्या 1.9 वाहन निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए 02 नये वाहन क्रय किया जाना।

विश्वविद्यालय के वाहन संख्या–यू पी 15 एन 5959(कार) एवं यू पी 28 4860(जीप) को उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार प्रक्रिया कर निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए इनके स्थान पर 2 नये वाहन क्रय करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए मा0 प्रबन्ध परिषद को अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयी। नये वाहन क्रय करने से पूर्व पुराने वाहनों की नीलामी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित करते हुए प्राप्त धनराशि विश्वविद्यालय कोष में जमा करायी जाये।

(कार्रवाईः प्रभारी अधिकारी पूल)

प्रस्ताव संख्या 1.10 सेवा प्रदाता के माध्यम से विश्वविद्यालय की मानव दिवस समिति की संस्तुति एवं आवश्यकता के आधार पर कुशल/अकुशल श्रमिकों की सेवायें प्राप्त किया जाना।

वित्त समिति के समस्त सदस्यों द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद की अनुमति हेतु संस्तुति की गयी कि (विश्वविद्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये) चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की संख्या के आधार पर उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार सेवा प्रदाता के माध्यम से सेवा अनुबन्ध के आधार पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य कराया जाये।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या 1.11 दीर्घ कालीन परियोजना ''All India coordinated Research Project on Field Progeny Testing of Crossbreed Cattle (HF crosses)''

वित्त समिति के समस्त सदस्यों द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद की अनुमति हेतु संस्तुति की गयी।

(कार्रवाईः अधिष्ठाता पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय)

13/3/13 13/3/13

प्रस्ताव संख्या 1.12 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

अलीगढ़ में आई0सी0ए0आर0 द्वारा संचालित एक सूत्रकृमि विज्ञान से सम्बन्धित AICRP (Nematology) का केन्द्र है। अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया कि यह केन्द्र इस विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित करने के बारे में एक प्रस्ताव आई0सी0ए0आर0 में विचाराधीन है। अगर यह प्रस्ताव विश्वविद्यालय के पास आई0सी0ए0आर0 से आता है, तो यह विश्वविद्यालय के हित में होगा। फसलों को सूत्रकृमि जनित रोगों तथा गन्ने की खेती में सफेद गिडार की समस्या पर अनुसंधान विश्वविद्यालय स्तर पर हो सकेगा। इस केन्द्र को विश्वविद्यालय में विलय करने से तीन पदों की वृद्धि होगी, जो भविष्य में विश्वविद्यालय हित में रहेगा।

(कार्रवाईः निदेशक प्रसार)

13/3/13

(सत्येन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक / सचिव, वित्त समिति

अनुमोदित

13/3/13
(डा0 हरि शंकर गौड)
कुलपति / अध्यक्ष